

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
मल्लभ मदन भोपाल-462004

क्रमांक-~~स~~ 73-22/2008/20-3

भोपाल, दिनांक 30-6-20

प्रति,


✓ सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
प्रति बिहार, नई दिल्ली।


विषय:- आन्तर्देशीय संस्था - फावर आग्नेय स्कूल - बार्डिंग -  
- - - - - रोड गौडीपुरा - गांधीनगर भोपाल - - - - -  
को ती. पी. स्. ई. / आई. सी. स्. ई. नई दिल्ली के तत्पश्चात् हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।

=====

राज्य शासन द्वारा आन्तर्देशीय संस्था फावर आग्नेय स्कूल बार्डिंग  
- - - - - रोड गौडीपुरा - गांधीनगर (भोपाल) को ती. पी. स्. ई. / आई. सी. स्. ई.,  
नई दिल्ली के तत्पश्चात् हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया  
जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका नाम प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को भिन्न नहीं होना हेतु संस्था की कार्यकारिणी में स. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।
2. निम्नलिखित अक्षरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन कुश्चा आदि आवश्यकानुसार उपलब्ध करायेगे। इस हेतु संस्था के व्यय पत्र लिखा जाये।
3. इस संस्थाओं के संभालन में उत्कृष्टता की शिक्षा प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राथमिक अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

  
PRINCIPAL  
FR. AGNEL CO-ED. SR. SEC. SCHOOL  
BHOPAL


  
MANAGER

निरन्तर. 2 पर

Fr. Agnel Co-ed Sr. Sec. School  
By Pass Road, Gondl Pura,  
BHOPAL-462030



4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का बचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कार्यकारी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला व आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेगी ।
7. अन्तर्कीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदेश स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।
8. छात्र-छात्राओं की शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री छपी बाजार से क्रय करने की दृष्टिवा रहेगी । छिती दुकान विक्रेता से क्रय करने की बाधता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार त्रिपाक्षीय जमिन दान पत्रों की आवश्यकता के व्यवस्था होगी तथा इन संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी स्टे ज्वलनशील तापन जैसे घरेलू स्त. पी. जी. आदि से तैयार नहीं किया जायेगा ।





11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनार्यात्त प्रभाव-वत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*[Handwritten Signature]*  
30.6.07

शंकर लखिया

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 30.6.2007

ए0ए0-ए-73-22/2005/20-3

प्रतिलिपि:-

1. आइ.ए.ए. लोड किल्लण तंवालनालय, म. प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नर्मदापुरा न. 37 - - - -
3. प्राचार्य, आर.वी.ए. शिक्षण संस्था ज्योतिबा फुले आर.के. स्कूल - -  
जयपुरा रोड मोडीपुरा गान्धीनगर नर्मदापुरा - - -
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिम।

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग